न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ......मसारी...... बनाम ......दर्याबसिंह S/O गिर्राजसिंह जाट

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/2018/19 निर्णय दिनाँक :- 27/2/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ......मसारी...... की आ.ख.न. 1225 कुल रकबा 0-78 किस्म जमीन गै॰मु॰ रास्ता में से ......0.02...... रकबे पर श्री ......दर्याबसिंह S/O गिर्राजसिंह जाट...... पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ......पक्का मकान...... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का .... द्वारा दिनाँक ......बनाकर...... को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. ......दांतोंदा...... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी ......दर्याबसिंह/गिर्राज...... जाति जाट...... निवासी ......मसारी...... को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1225 ...... रकबा 0-78 ...... में से ......0.02...... रकबे किस्म गै॰मु॰रास्ता...... है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान ......12 paise...... का 50 गुणा 10/-...... रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, (Ten Rs.) पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ......मसारी...... भू.अ.निरी. दांतोंदा ......तह॰ कठूमर...... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)

प्रतिलिपि :- प॰ E को पालनार्थ
वसूली मय नकल पेश हो

पी. स. स. 4 के पृष्ठ स. 40 क्रम सं. 14
वर्ष 2018-19 ...... राशि ......10/-......
की कायमी की गई

(हस्ताक्षर)
12/3/19
सदर कानूनगो ......
कठूमर ......